प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

दांडिक अपील सं 1746 / 2019

विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) सं7010/2019 से उत्पन्न

भारतीय संघ द्वारा
संयुक्त सचिव (COFEPOSA),
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ....अपीलार्थी

द्वारा

अंकित अशोक जालान .....प्रत्यर्थी

सह

विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) सं 7013/2019
रिट याचिका (दांडिक) सं 204/2019
रिट याचिका (दांडिक) सं 206/2019
रिट याचिका (दांडिक) सं 209/2019

निर्णय

(न्या.) एम.आर.शाह,

विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) सं 7010 /2019 में अनुमति स्वीकृत |

2. रिट याचिका (दांडिक) सं 1840/2019 में उच्च न्यायलय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.08.2019 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायलय ने यहाँ जो प्रत्यर्थी हैं, के द्वारा दी गई उक्त रिट याचिका को स्वीकृत किया| जिसे यहाँ जो प्रत्यर्थी है ने प्राथमिकता दी है एवं निरोध आदेश सं. PD-12001/34/2019 COFEPOSA दिनांक 1.07.2019 तथा PD-12001/35/2019 COFEPOSA को ख़ारिज एवं रद्द किया| भारतीय संघ ने अधिकृत निरोध प्राधिकारी द्वारा वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है| उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से पीड़ित एवं असंतुष्ट होकर यहाँ तक कि निरुद्ध व्यक्ति ने उपरोक्त आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसमे उच्च न्यायलय के समक्ष उक्त याचिका के उठाये गए C, D, E, F & G के आधार पर उक्त आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसे किसी भी प्रकार से निर्णित नहीं किया गया, जबकि मूल याचिकाकर्ता की रिट याचिका को सिर्फ दो आधारों अर्थात 'A & B' पर स्वीकृत किया|

2.1 रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (दांडिक) सं 204/2019, 206/2019 एवं 209/2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राथमिकता दी है यह उपयुक्त रिट निर्देश अथवा आदेश घोषित करते हुए कि वियोजक अथवा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निरोधक गतिविधि अधिनियम,1974 (जो की बाद मे COFEPOSA अधिनियम के नाम से जाना गया) की धारा 13 के अंतर्गत जो कार्य अच्छी भावना के साथ सम्पादित किये जायेंगे वही इस धारा के अंतर्गत संरक्षित होंगे जो सम्बंधित याचीगण को निरोध प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही में सक्षम बनाता है |

2.2 शुरू मे इसे ध्यान रखना आवश्यक है कि जहां तक रिट याचिका के सम्बंधित रिट याचीगण का सम्बन्ध है यद्यपि उच्च न्यायलय द्वारा निरोध रद्द करने के बाद भी उपरोक्त रिट याचीगण ने उपरोक्त राहत के लिए प्रार्थना किया है|

दांडिक अपील @विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) 7010/2019 तथा <u>एस.एल.पी (आपराधिक) सं 7013/2019</u>

3. संक्षेप मे इस केस की सच्चाई निम्नलिखित है|

विशेष अन्वेषण पर ध्यान देने पर राजस्व आसूचना निदेशक, कोलकाता की क्षेत्रीय इकाई (संक्षेप मे 'डी आर आई') ने दिनांक 09.06.2019 को दानकुणी टोल प्लाज़ा पश्चिम बंगाल के

नजदीक आनंद को पकड़ा जब वह बस से सिलीगुड़ी से कोलकाता की यात्रा कर रहा था| जिसमे विदेशी मूल का सोना आठ किलो साथ मे था जिसका मूल्य लगभग 2.71 करोड़ है| आनंद ने अपने दिनांक 09.06.2019 एवं 10.06.2019 को अभिलिखित वक्तव्य मे स्वीकार किया जिससे सूचित होता है कि वह बंदी के संपर्क मे था तथा सोने की 08 मोहरे इंडिया भूटान सीमा के जयगाँव से अपरिचित व्यक्ति से प्राप्त किए थे , जिसे कोलकाता एवं दिल्ली मे पहुंचाकर वितरित करना था| बंदी के अनुसार वे डी आर आई के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.06.2019 को अपरहान 2 बजे फूड कोर्ट ऑफ क्रेस्ट मॉल 33 , सईद अमीर आली एवेन्यू पार्क सर्कस , बेक बागान रो कोलकाता पश्चिम बंगाल 700017 से गिरफ्तार किए गए एवं ऑफिस लाया गया तथा कैदी का कथित रूप से आत्माभिव्यक्ति इक़बालिया बयान कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 108 के तहत ले लिया गया (जो कि इसके बाद अधिनियम के नाम से जाना गया) तथा जो औपचारिक रूप से धारा 104 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दिनांक 11.06.2019 को हिरासत मे लिए हुए दिखाये गए| इसके बाद दिनांक 12.06.2019 को न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया|

3.1 वि. 67/2019 में आदेश सं दिनांक 12.06.2019 द्वारा फ़ाज़िल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट कोलकाता ने बंदी की ओर से ज़मानत की प्रार्थना को निरस्त कर दिया एवं दिनांक 18.06.2019 तक न्यायिक हिरासत मे ले लिया गया|

3.2 जब तक बंदी हिरासत मे था नजरबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 01.07.2019 को निरोध आदेश प्रदान किया गया, दिनांक 02.07.2019 को निरोध आदेश दोनों बंदियों के लिए पास किया गया एवं दिनांक 04.07.2019 को दस्तावेजो के आधार पर बंदियों के साथ क़ानूनी कार्यवाही की गई|

3.3 बंदियों ने अपने आवेदन दिनांक 07.07.2019 को भारतीय संविधान की अनुच्छेद 22(5) सह पठित COFEPOSA की धारा 3(3) के अनुसार दायर किया जो जेल अधिकारियों द्वारा आक्षेपित निरोध आदेश के विरुद्ध निरोध प्राधिकारियों को संबोधित था|

3.4 प्रत्यर्थी अंकित अशोक जालान ने अपने पिता अशोक कुमार जालान तथा भाई अमित जालान (बंदी) के विरुद्ध उपरोक्त निरोध आदेशों दिनांक 01.07.2019 को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की| मुख्य रूप से मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से

यह दावा किया गया था कि बंदी के पहले से ही न्यायिक हिरासत मे होने के बावजूद निरोध अधिकारी ने निरोध आदेश दिये एवं उनके जमानत पर रिहा होने की कोई आसन्न संभावना नहीं थी और न ही कोई सामाग्री इस बात पर आशंका जताती थी कि वह निकट भविष्य मे रिहा हो सकता है क्योंकि कोई जमानत अर्जी लंबित नहीं थी, यह पूर्व निर्धारित अवैध और बिना किसी आधार के है| यह आगे दावा किया गया कि निरोध प्राधिकारी द्वारा विश्वसनीय दस्तावेज़ों का अवलोकन नहीं किया गया यद्दपि उक्त आनंद की प्रत्याहार याचिका जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है उसे न तो निरोध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न ही विधि के अनुरूप इसपर विचार किया गया है| उक्त आनंद के सम्बन्ध में 'प्रत्याहार याचिका' की प्रति होने का अनुमानतः दस्तावेज़ विश्वसनीय दस्तावेजों की सूची में क्रम सं 30 के रूप मे रखा गया है वास्तव में, पूर्ववर्ती की ज़मानत याचिका है एवं इस प्रकार व्यक्तिपरक संतुष्टि के रूप मे झूठी ,त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण है अतः बंदी के प्रभावी अभ्यावेदन के अधिकार का उल्लंघन है जो संविधान एवं विधि द्वारा अनिवार्य एवं प्रत्याभूत|

4. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निरोध अधिकारी द्वारा रिट याचिका का विरोध किया गया है| ऐसा अनुरोध किया गया है कि इस स्तर पर रिट याचिका पर विचार न किया जाये क्योंकि 'बंदी अभ्यावेदन' विचार के लिए सलाहकार मंडल के समक्ष लंबित थे| गुणो के आधार

पर यह प्रस्तुत किया गया कि व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुँचने के लिए निरोध अधिकारी के समक्ष आवश्यक तथ्य था कि बंदी की न्यायिक हिरासत से रिहा होने की संभावना थी एवं उनकी हानिकारक गतिविधियों में लिप्त होने की निरंतरता की सम्भावना थी| यह भी प्रस्तुत किया गया कि सभी सुसंगत दस्तावेज़ बंदी को प्रदान किये गये, आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्यतः इस आधार पर निरोध आदेश को रद्द एवं ख़ारिज कर दिया है कि निरोध अधिकारी द्वारा स्पष्ट त्रुटि है| अतः निरोध आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर ख़ारिज किया गया है कि बंदी को ज़मानत देने की आसन्न सम्भावना के सुसंगत प्रश्न के परीक्षण एवं उचित को विचार करने में बंदी प्राधिकारी स्पष्ट रूप से लापरवाह एवं असफल हुए है| निरोध अधिकारी की तरफ से स्पष्ट रूप से लापरवाही एवं असफलता हुई है क्योंकि व्यक्तिपरक संतुष्टि अभिलिखित करने के बाद ही निरोध आदेश पारित किये गए थे|

4.1 निरोध आदेश को खारिज एवं रद्द करने के माननीय उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध एवं असंतुष्ट होकर, निरोध अधिकारी भारत संघ ने वर्तमान अपील की गुजारिश की है| उपरोक्त अवलोकनों के आधार पर यद्यपि मूल रिट याचिकाकर्ता ने भी माननीय उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय मे आया एवं यद्यपि उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रिट याचिका में उठाये गए आधारों पर 'सी', 'डी' , 'ई', 'एफ' एवं

जी जो किसी भी तरह से निर्णित नहीं हैं जबकि मूल रिट याचिकाकर्ता की रिट याचिका को दो आधारों 'ए' & 'बी' सिर्फ को स्वीकृत किया गया है|

5. भारत के फ़ाज़िल अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज, ने ज़ोर देकर प्रस्तुत किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश विधि के स्पष्टत: प्रतिकूल है जो एक हाल के निर्णय मे *भारतीय संघ एवं दूसरे डिंपल हॅप्पी धाकड़ आपराधिक अपील सं 1064/2019 जो कि एस एल पी से प्राप्त (आपराधिक सं 5459/2019) जो कि दिनांक 18.07.2019 एस सी सी ऑनलाइन यस सी 875* में इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के विरुद्ध है जिसमे ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि निरोध प्राधिकारी द्वारा वर्गीकृत अभिलेख के बावजूद भी बंदी का न्यायिक हिरासत से रिहा होना संभव है| माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा अवलोकन किया है कि यह संतोषजनक अनुपालन के अभाव में मूलतः निरोधक आदेश को खारिज किया है|

5.1 निरोध आदेश के पारा 7 पर गौर करने पर ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि बंदी के न्यायिक हिरासत में होने के बारे मे निरोध अधिकारी अवगत थे तथा उसके तुरंत रिहा होने की संभावना एवं उसके रिहा होने के बाद पहले वाली गतिविधि मे झुकाव संभव है| ऐसा प्रस्तुत

किया है कि निरोधक अधिकारी की व्यक्तिगत संतुष्टि हिरासत के परिप्रेक्ष्य मे जैसे कि रिहा होने की संभावना तथा पक्षपात होने वाली गतिविधियों के प्रति झुकाव स्पष्ट की गई है ,ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि आनंद के रिहा होने का आवेदन भी निरोध प्राधिकारी द्वारा विचारधीन है|

5.2 फ़ाज़िल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि हिरासत प्राधिकारी की ओर से उपरोक्त विचार संवैधानिक संरक्षण के साथ पर्याप्त अनुपालन है| *नूर सलमान मकनी तथा भारतीय संघ (1994)1 एससीसी 381 (पैरा 5 एवं 6) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया गया है|*

5.3 इसके अलावा फ़ाज़िल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि *कमारुनिशा तथा भारतीय संघ (1991) 1 एससीसी 128* के मामले मे भी प्रत्यर्थी पर भरोसा किया गया है, कोई व्यक्ति जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हो के मामले में निरोध आदेश पारित करते हुए न्यायालय त्रिबिंदुए परीक्षण करती है जो निम्नानुसार है|

“(1) यदि आदेश पारित करनेवाला प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत हो कि वह वास्तव मे हिरासत मे है:

(2) क्या उसके पास उसके समक्ष रखे गये विश्वसनीय तथ्यों पर विश्वास करने का कोई कारण है;

(ए) जिसमे उसके रिहा होने कि पर्याप्त वास्तविक संभावना है तथा

(बी) ऐसा होने पर वह सभी संभावित मामलो मे पक्षपातपूर्ण गतिविधि मे लिप्त हो जाएगा तथा

(3) यदि ऐसा महसूस किया जाता है कि उसे हिरासत मे लेना आवश्यक है जिसमे ऐसा करने से उसे रोका जा सकता है "

इस निर्णय मे ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय इसके साथ ही अवलोकन करता है|

"यदि प्राधिकरण इस संबंध मे अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद एक आदेश पारित करता है तो ऐसे आदेश को सिर्फ इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि प्राधिकरण के लिए उचित प्रक्रिया रिहाई का विरोध करना था एवं यदि इसके बावजूद भी ज़मानत दी जाती है उच्चतर न्यायालय से प्रश्न करना|"

ऐसा कहा गया है कि न्यायालय इसे निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है:

"रमेश यादव के मामले [(1985) 4 एस सी सी 232] के बारे मे न्यायालय ने जो कहा वह सामान्य रूप से एक हिरासत आदेश को उन मामलों में जो आपराधिक प्रवृत्ति के हों सिर्फ स्तानान्तरित करने और किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न करने के लिए पारित नहीं करना चाहिए जिसे सामान्य नियम कानून के तहत लिया जा सकता है| यह अच्छी तरह से सुलझा मालूम होता है कि उस तरह के मामले मे जब कोई आदमी हिरासत मे हो तथा जब तथ्यो एवं परिस्थितियाँ इस तरह से हो तो इसमे रोकथाम निरोधक कानून का सहारा लिया जाता है|'

5.4 ऐसा कहा गया है कि दिये गए निर्णय मे जागरूकता की बंदी हिरासत मे है तथा तथ्यों के स्पष्ट अभिलेख कि बंदी के रिहा होने कि संतोषजनक संभावना है जब निरोध आदेश हिरासत मे लिए गए व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया जा रहा हो| फ़ाज़िल अतिरिक्त सॉलिसिटर

जनरल ने *मेरुगु सत्यनारायाण द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य , (1982) 3 एस सी सी 301 गुजरात राज्य द्वारा सुनील फूलचंद शाह (1988) 1 एस सी सी 600 ; विजय कुमार द्वारा भारतीय संघ (1988) 2 एस सी सी 57 अब्दुल सत्तार इब्रहीम माणिक द्वारा भारतीय संघ (1992) 1 एस सी सी 1 : विरामनी द्वारा तमिल नाडु राज्य (1994) 2 एस सी सी 337; तथा बेवी देवासी चूली द्वारा भारतीय संघ (2013) 4 एस सी सी 531 में न्यायालय निर्णय पर निम्न रूप से विचार किया है|*

5.5 इसके अलावा फ़ाज़िल अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल द्वारा कहा गया है कि बंदी को उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के द्वारा ज़मानत पर रिहा किया गया है अत: रिहा होने की आसन्न संभावना का आधार प्रमाणित है| यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वीकृत रूप से, न्यायालय द्वारा बंदी को ज़मानत दी गई है जिस तारीख पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.08.2019 निरोध आदेश को रद्द कर दिया गया था| अतः ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि हिरासत मे लेने वाले प्राधिकारी के मन मे डर है कि कहीं बंदी रिहा न हो जाय एवं बंदी की पूर्वाग्रह गतिविधियों के अनुसार बंदी को स्थापित एवं दृढ रखा गया है| ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि बंदी के द्वारा ऐसी भूमिका बनाना जिसमे रिहा होने की स्पष्ट का जिक्र न होना उसपर विचार नहीं किया जा सकता है , जबकि बंदी को हिरासत मे लेने के बाद

के आदेश से ही गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के आदेश के बाद ही रिहा कर दिया गया| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि जिस तिथि को हिरासत मे लिए जाने का आदेश खारिज किया जाता है बंदी पूर्वाग्रह से ग्रसित गतिविधियों मे भाग लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा जो की हिरासत मे लिए गए आदेश मे वर्णित है जो कि सामान्य रूप से समाज के लिए एक गंभीर क्षति एवं खासकर समाज के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित एक भारी क्षति है|

5.6 जहाँ तक श्री आनंद के प्रत्याहार कथन के सम्बन्ध में बंदी द्वारा उठाये गये दूसरे आधार बंदी प्राधिकारी के पास निरोध आदेश पारित होने की तारीख पर नहीं थे जिससे निरोध आदेश विकृत हो गए| ऐसा प्रस्तुत है कि दिनाक 31.08.2019 को प्रयोजन प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था| ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 31.08.2019 को जारी जेल प्राधिकारी के पत्र के द्वारा दिनांक 22.06.2019 को कैदी याचिका श्री आनंद द्वारा कोलकाता के मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट के फ़ाज़िल न्यायालय मे अग्रेषित किया गया था| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि उक्त याचिका को मुख्य महानगरपालिका मैजिस्ट्रेट के अलावा और कहीं नहीं यहाँ तक कि प्रयोजन एवं हिरासत प्राधिकारी को भी नहीं प्रेषित किया गया है| ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि इसके अलावा जेल प्राधिकारी के पत्र दिनांक 30.08.2019 को श्री आनंद के द्वारा प्रेषित कैदी याचिका दिनांक 22.06.2019

को फाजिल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट कोलकाता को अग्रेषित किया| दिनांक 24.06.2019 को इसे मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट के पास भेजा गया| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि श्री आनंद, श्री अशोक कुमार जालान तथा श्री अमित जलान को दिनांक 02.7.2019 को न्यायिक हिरासत से मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि मामले सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के सामने आया है कि एक प्रत्याहार याचिका श्री आनंद द्वारा दाखिल किया गया है तदनुसार फाजिल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक अनुरोध जारी किया गया जिसमे उसके एक प्रति की मांग की गई तदनुसार फाजिल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि अभियुक्त सं 1 (श्री आनंद) के वकील को दिनांक 02.7.019 के आदेश सं. द्वारा एक प्रति की मांग की गई है| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि डी आर आई कार्यालय कोलकाता ने श्री आनंद की प्रत्याहार याचिका /बंदी की याचिका दिनांक 22.06.2019 की एक प्रति दिनांक 15.07.2019 को प्राप्त की जो श्री मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की आदेश दिनांक 02.07.2019 के अनुसार जो श्री सुमित देय श्री आनंद के अधिवक्ता द्वारा दी गई थी| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि श्री आनंद के प्रत्याहार आवेदन दिनांक 22.06.2019के बारे मे प्रयोजन अधिकारी को पता नहीं था जब प्रस्ताव को प्रयोजन प्राधिकारी द्वारा निरोध अधिकारी को अग्रेषित किया गया अतःबंदी के विरुद्ध निरोध आदेश को पारित होने से पहले अभिकथित प्रत्याहार आवेदन

दिनांक 22.6.2019 को प्रायोजित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.7.2019 को विशेष प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया | ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि श्री आनंद की प्रत्याहार आवेदन दिनांक 22.6.2019 प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं करना निरोध आदेश को भंग नहीं करता है| उपरोक्त प्रार्थना को स्वीकार करते हुए फाजिल अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ने न्यायालय के निर्णय *रावर्दे मार्क जमेने जूल तथा महाराष्ट्र राज्य (1982) 3 SCC 135 पर विश्वास* किया है|

5.7 इसके अतिरिक्त फाजिल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलद्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि श्री आनंद की याचिका / प्रत्याहार याचिका दिनांक 22.6.2019 की विषयवस्तु सिर्फ बाद का विचार है| यह प्रस्तुत किया गया है कि श्री आनंद 8 किलो विदेशी स्वर्ण के साथ बिना किसी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निष्पक्ष गवाह की उपस्थिति में उचित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पकड़ा गया है| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि व्हाट्सअप संदेश को उसके एवं श्री अशोक जालान के बीच अदला बदली किया गया तथा इनके बीच किया गया व्हाट्स अप कॉल इस केस की जटिलता एवं जान पहचान के बारे में अशुद्ध साक्ष्य प्रदान करती है||ऐसा कहा गया है कि बंदी की याचिका /प्रत्याहार याचिका हिरासत मे लेने वाले प्राधिकारी के

निर्णय के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है जिसमे कि हिरासत मे लेने के आदेश पारित किए गए है जो कि तथ्यों एवं गवाहों के अभिलेख पर आधारित है तथा हिरासत मे लेने वाले आदेश मे विधिवत वर्णित है तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावजों पर आधारित है|

5.8 आगे, यह प्रस्तुत किया गया है कि बंदी के विरुद्ध वर्तमान निरोध आदेश के मामले में श्री आनंद का प्रत्याहार कथन कोई विशिष्ट दस्तावेज़ नहीं है क्योंकि उनके प्रत्याहार पर निरोध प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है|

5.9 इसके अलावा फाजिल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों के अलावा रिहा होने के बाद श्री आनंद ने पहले के कथन को दिनांक 9.6.2019, 10.06.2019, 14.06.2019 तथा 19.07.2019 को बार बार दुहराता रहा है जिसमे उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने प्रत्याहार याचिका को अपने अधिवक्ता के दिशा निर्देश मे प्रस्तुत किया है जो कि उसकी भूल है|

5.10 ऐसा फ़ाज़िल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने मे असफल रहना हिरासत के आदेश के लिए घातक नहीं है|इस प्रस्तुतीकरण के पक्ष मे फ़ाज़िल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय के निर्णय

प्रकाश चन्द्र मेहता द्वारा केरल सरकार (कमिश्नर एवं सचिव), 1985 सप्लाइ एससीसी 144 (पारा 69 से 73, 75, 82 तथा 83) तथा मदन लाल आनंद द्वारा भारतीय संघ (1990)| एससीसी 81 पर विश्वास किया है|

5.11 उपरोक्त के निर्णयों पर विश्वास करते हुए ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना की गई है वर्तमान अपील की स्वीकृति के लिए अथवा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश जिसमें हिरासत आदेश को निरस्त एवं खारिज किया जाये||

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश का समर्थन करते हुए जिसमे फ़ाज़िल अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी की ओर से ज़ोर देकर कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने निरोध आदेश को रद्द एवं ख़ारिज करते हुए एक ठोस कारण दिया है अतः अब इसमे न्यायालय को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है|

6.1 मूल याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विक्रम चौधरी ने हिरासत के मसले पर तर्कसंगत कहा , खासकर पैराग्राफ (v) तथा (vii) जिसमे प्रस्तुत किया गया है तथा श्री आनंद के कथन के आधार तथा मूल ढ़ाचा के रूप मे विचार कर सम्पूर्ण केस को बंदी के विरुद्ध किया गया है| इसके फलस्वरूप अगर कथन पर अगर विचारधीन क्षेत्र से अलग

कर दिया जाय तो बंदी के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा| यह प्रस्तुत किया गया है कि बंदी से कुछ आपराधिक बरामदगी नहीं की गई है|

6.2 इसके अलावा मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से फाजिल वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है वर्तमान बंदी द्वारा उनके प्रत्याहार बयानों के सम्बन्ध में बंदी प्राधिकारी द्वारा एक विशिष्ट संदर्भ का उल्लेख किया गया है| हालांकि अपने जमानत आवेदन में भी श्री आनंद द्वारा प्रत्याहार के तथ्य पर कुछ नहीं कहा है| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि रिहा होने के आवेदन पर अगर रिहा होने के पक्ष मे कुछ क्षण के लिए नहीं भी किया जाय तो श्री आनंद के लिए प्रत्याहार कहलाएगा| ऐसा बंदी प्राधिकारी ने कभी सोचा भी नहीं कि यह व्यक्तिपरक संतुष्टि होगा| ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि बंदी प्राधिकारी ने बंदी के प्रत्याहार पर गहन विचार किया होगा लेकिन प्रत्याहार के लिए श्री आनंद द्वारा ऐसा विचार नहीं किया गया होगा इस मामले मे यह जीवित एवं जागरूक था|

6.3 आगे, यह प्रस्तु त किया गया है कि श्री आनं द का वापस लिया हुआ कथन निरोध प्राधिकारी द्वारा बंदी को प्रदान नहीं किया गया है| यह प्रस्तुत किया गया है कि विश्वसनीय दस्तावेजों पर भरोसा करने के उपरांत यह कहा गया है की “श्री आनंद के संबंध में वापस ली

गई याचिका की एक प्रति है "| ऐसा कहा गया है कि उपरोक्त दस्तावेज़ श्री आनंद की ज़मानत के लिए आवेदन है न की एक वापस लिया गया कथन| यह प्रस्तुत किया गया है कि श्री आनंद का वापस लिया गए कथन की अनापूर्ति ने बंदी के निरोध आदेश को दूषित किया है|

6.4 इसके अलावा ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि निरोध के आधार पर, श्री आनंद की ओर से वापस याचिका का कोई सन्दर्भ नहीं है|

6.5 आगे, यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय की आदेश प्रति से स्पष्ट है कि श्री आनंद द्वारा दायर की गई प्रत्याहार याचिका दिनाक 24.06.2019 को न्यायालय में पहुँची एवं न्यायालय की हस्तलिखित कार्यवाहियों ने उपरोक्त तथ्य को अभिलिखित किया| ऐसा कहा गया है कि प्रत्याहार याचिका निरोध आदेश ज़ारी करने से पहले का एक प्रकार का न्यायिक/न्यायालय अभिलेख है| अतः ऐसा कहा गया है कि श्री आनंद की प्रत्याहार याचिका डी आर आई अधिकारी तथा अधिवक्ता के पूर्ण जानकारी मे थी| अतः कहा गया है कि हिरासत प्राधिकारी तथा अभियोजन को छोडकर, कोई भी नजरबंद के प्रस्ताव से अवगत नहीं था यह उनकी निजी जिम्मेदारी थी कि अभिलेख के लिए बुलाएँ| यह प्रस्तुत है कि उपरोक्त प्रत्याहार

याचिका एवं सम्पूर्ण न्यायालय अभिलेख की पूर्ति के लिए प्रार्थना नजरबंद होने के आदेश से पहले पारित नहीं किया गया|

6.6 आगे, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकारियों को प्रत्याहार की जानकारी दिनांक 02.07.2019 को थी जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है| यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अपराधी श्री आनंद की प्रत्याहार याचिका दिनांक 22.06.2019 जिसमे अभिकथित गतिविधियों में बंदी की मिलीभगत का आवश्यक व्यवहार है| ऐसा कहा गया है कि बंदी प्राधिकारी को प्रत्याहार की जानकारी थी एवं उन्होंने इस पर विचार किया होगा यह निरोध प्राधिकारी को एक अथवा दूसरी तरह से प्रभावित कर सकता है| अतः ऐसा कहा गया है कि श्री आनंद द्वारा प्रत्याहार याचिका को न प्रदान करना अथवा श्री आनंद द्वारा तथ्यों पर विचार नहीं किया गया उसमे नजरबंदी के आदेश की अवहेलना की गई है अतः माननीय उच्च न्यायालय ने नजरबंदी आदेश को खारिज कर दिया| इसके पक्ष मे फ़ाज़िल अधिवक्ता के समूहों ने न्यायालय के निर्णय पर एक केस मे वी *सी मोहन बनाम भारतीय संघ (2002) 3 एससीसी 451 दीपक बजाज बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 16 एससीसी 14: तथा ऋषिकेश तानाजी भोयेते बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012), 2 एससीसी 72 पूर्ण विश्वास किया है|*

6.7 आगे ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्तिपरक संतुष्टि किसी ठोस तत्व के अभाव मे बिगड़ गया है| फलतः संतोषजनक रूप मे रिहाई की संभावना खासकर रिहाई आवेदन जब दोनों ही बंदियों द्वारा जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत किया गया है तथा बंदी द्वारा कोई भी अन्य रिहाई आवेदन लंबित नहीं है|

6.8 आगे ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि दिनाक 12.6.019 को अविवादित रूप से बंदी के रिहाई आवेदन को अस्वीकार किया गया , आगे और कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है| अतः ऐसा कहा गया है कि बंदी प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि कि बंदी के ज़मानत पर रिहा होने की संभावना है ने विकृत किया है| अतः माननीयय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर नजरबंद होने के आदेश को खारिज एवं निरस्त करता है इसके पक्ष मे फाजिल अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर इस केस मे *रामेश्वर शॉ बनाम जिलाधिकारी ए आई आर 1964 एससी 334: कमरुनिशा (उपरोक्त) : टी वी श्रवनन बनाम राज्य (2006) 2 एससीसी 664; और रेखा बनाम तमिलनाडू राज्य (2011) 5 एससीसी 244 पर पूर्णत: सहमत है*|

6.9 *भारतीय संघ बनाम डिंपल हॅप्पी धाकड़ (उपरोक्त)* केस में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए जिसमे प्रत्यर्थी की ओर से फाजिल अधिवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि नजरबंदी

प्राधिकारी की संतुष्टि जिसमे कि कैदी को ज़मानत पर रिहा किया जाय निरोध प्राधिकारी का अपना कथन नहीं हो सकता | ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि *डिंपल हॅप्पी धाकड़* के उपरोक्त केस मे इस न्यायालय ने नज़रबंद प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के बाद ही नजरबंद के आदेश की पुष्टि की, बंदी के तथ्यों के के आधार पर रिहा होने की सम्भावना है| ऐसा कहा गया है कि *रेखा (उपरोक्त)* के केस मे न्यायालय का निर्णय जो कि तीन जजों कि बेंच ने सुनाया तथा उपरोक्त *डिंपल हॅप्पी धाकड़* के केस मे जो कि दो जजों कि बेंच ने सुनाया| ऐसा प्रस्तुत है कि किसी भी अवस्था मे वर्तमान अवस्था मे न्यायालय के समक्ष कोई भी रिहाई आवेदन बंदी के लिए लंबित नहीं है|

6.10 आगे ऐसा कहा गया है कि COFEPOSA धारा 5-ए के अंतर्गत गंभीरता का प्रश्न के बारे मे अपीलार्थी/निरोध प्राधिकारी द्वारा कभी भी उच्च न्यायालय अथवा इस न्यायालय के समक्ष किसी भी सुनवाई में अभिवचन नहीं दिए गए थे | ऐसा प्रस्तुत किया गया है *ए केस शौकत अली बनाम भारतीय संघ (2000) 7 एससीसी 148 तथा पी श्रवनन बनाम तमिलनाडू राज (2001) 10 एससीसी 212, COFEPOSA* मे न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है|

6.11 इसके अलावा ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि अभ्यावेदन को निर्णित करने मे देरी हुई है| अतः नजरबंदी के आदेश को कानूनी रूप से निरस्त किया जा सकता है|

6.12 बंदी की ओर से प्रस्तुत फाजिल अधिवक्ता ने बंदी को ज़मानत देने के लिए माननीय विचारण न्यायालय के अवलोकनों पर विचार करने के लिए आग्रह किया है खासकर डी आर आई के अधिकारीयों के गुण दोषों पर प्रकाश डालने पर जब डी आर आई अधिकारीयों द्वारा बंदी को गैर कानूनी तरीके से तथा अवैध रूप से हिरासत मे लेकर झूठे कथनों का निष्कर्ष किया गया|

6.13 उपरोक्त विवेचनों पर विश्वास करते हुए ऐसा प्रार्थना किया गया है कि वर्तमान अपील / याचिका को रद्द किया जाय एवं निरोध आदेश को रद्द करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में कोई हस्तक्षेप न हो|

7. हमने फाजिल अधिवक्ताओं के पक्ष के संबन्धित दलों के बारे मे सुना है|

8. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने संबन्धित नजरबंदी के आदेश को खारिज एवं निरस्त किया है तथा बंदी अशोक कुमार जालान एवं अमित जालान को

सी ओ एफ ई पी ओ एस के प्रावधान मे रिहा किया है | निरोध आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर ख़ारिज किया गया है कि बंदी प्राधिकारी की तरफ से बंदी को ज़मानत देने की आसन्न सम्भावना के सुसंगत प्रश्न के परीक्षण एवं उचित को विचार करने में स्पष्ट रूप से लापरवाह एवं असफल हुए है| निरोध अधिकारी की तरफ से स्पष्ट रूप से लापरवाही एवं असफलता हुई है क्योंकि व्यक्तिपरक संतुष्टि अभिलिखित करने के बाद ही निरोध आदेश पारित किये गए थे एवं इस आधार पर भी कि आनंद की प्रत्याहार याचिका के रूप में उचित तथ्य भी नहीं थे एवं निरोध प्राधिकारी द्वारा विचार न करना भी निरोध आदेश को दूषित करता है|

8.1 अब पहले तथ्य पर जिसमे नजरबंदी आदेश को निरस्त किया गया है निरोध आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर ख़ारिज किया गया है कि बंदी प्राधिकारी की तरफ से बंदी को ज़मानत देने की आसन्न सम्भावना के सुसंगत प्रश्न के परीक्षण एवं उचित को विचार करने में स्पष्ट रूप से लापरवाह एवं असफल हुए है| निरोध अधिकारी की तरफ से स्पष्ट रूप से लापरवाही एवं असफलता हुई है क्योंकि व्यक्तिपरक संतुष्टि अभिलिखित करने के बाद ही निरोध आदेश पारित किये गए थे| ऐसा ध्यान देना होगा कि पैराग्राफ 7 के अनुसार नजरबंद प्राधिकारी ने निम्नलिखित अवलोकन किया एवं कहा|

"7. मुझे पता है कि तुम श्री अशोक कुमार जलान फिलहाल न्यायिक हिरासत मे प्रेसीडेंसी कोर्रेक्टिओनल शिविर, अलीपुर, कोलकाता मे हो जबकि न्यायिक हिरासत से रिहा होने की तुम्हारी प्रबल संभावना है और अगर तुम रिहा हो गए तो तुम्हें पुरानी गतिविधियों मे लिप्त होने की प्रबल संभावना है| अतः ऐसी संभावना है की तुम्हारे विरुद्ध एक नजरबंदी आदेश COFEPOSA 1974 एक्ट के तहत पारित करने की आवश्यकता है जिससे कि तुम्हें भविष्य मे तस्करी तथा विदेशी स्वर्ण मुद्रा के केस से बचाया जा सके"

अतः यह स्पष्ट है कि नजरबंद के आदेश पास करने से पहले नजरबंद प्राधिकारी को यह पता था कि बंदी वास्तविक रूप मे न्यायिक हिरासत मे है तथा उसे रिहा होने की प्रबल संभावना है तथा रिहा होने के बाद वह निश्चित रूप से पहले की गतिविधियों मे शामिल होगा अतः यह आवश्यकता है कि उसे भविष्य मे सोने एवं विदेशी मुद्रा की तस्करी से बचाना है|

न्यायालय के निर्णयो पर विचार करने पर यदि व्यक्ति न्यायिक हिरासत मे हो तब भी वह COFEPOSA के संबन्धित कानून के तहत उसे तर्कसंगत रूप से नजरबंद किया जा सकता है| हालांकि इसके लिए सुझ बुझ की आवश्यकता है तथा नजरबंदी प्राधिकारी व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट हो इन पर तर्क संगत रूप से विचार करने पर विश्वास करने का एक कारण है कि बंदी की ज़मानत पर रिहा होने की प्रबल संभावना है एवं ज़मानत पर रिहा होने के बाद वह पूर्व की गतिविधि मे शामिल होने की प्रबल संभावना है| हाल के निर्णय मे इस न्यायालय ने *डिंपल हॅप्पी धाकड़ (उपरोक्त)* के केस मे विचार करने का मौका मिला है तथा इन निर्णयों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कमरुनिशा *(उपरोक्त) भारतीय संघ बनाम पॉल मणिकाम*

(2003) 8 एससीसी 342 हुईदराम कोनूंजाओ सिंह बनाम मणिपुर राज्य (2012) 7 एससीसी 181 धर्मेंद्र सुगंचंद चेलवट बनाम भारतीय संघ (1990) 1 एससीसी 746; तथा वीरमनी (उपरोक्त) के केस में न्यायालय ने अवलोकन किया एवं पाया है कि (i) हिरासत मे लिए गए व्यक्ति के विरुद्ध नजरबंदी आदेश वैधता से पारित किए जा सकते है तथा उस उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि नजरबंदी आधार दर्शाना चाहिए कि निरोध प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत थे कि बंदी पहले से ही हिरासत में है; (ii) नजरबंदी प्राधिकारी पहले से संतुष्ट हो कि बंदी को हिरासत से रिहा किया जा सकता है तथा रिहा होने पर बंदी की गतिविधि यह संकेत देता है कि वह पूर्व की गतिविधि मे लिप्त हो सकता है| अतः यह आवश्यक है कि उसे हिरासत मे लिया जाय जिससे कि उस तरह की गतिविधि में लिप्त होने से उसे बचाया जा सके; (iii) यह नजरबंदी प्राधिकारी की संतुष्टि है कि बंदी से पहले ही हिरासत मे है तथा उसे ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है तथा उसे रिहा होने पर पुनः पूर्व की गतिविधियों मे लिप्त होने की संभावना है जिससे की नजरबंदी प्राधिकारी की व्यक्तिगत संतुष्टि है|

8.2 नूर सलमान मकनी के केस मे (उपरोक्त) एक रिपोर्ट दिया गया जिसमे नजरबंदी प्राधिकारी ने सूझ-बुझ से काम नहीं लिया कि उन परिस्थितियों मे जब बंदी जेल मे था तथा सिर्फ यह कह देना कि बंदी हिरासत से रिहा हो सकता है इसे नकारा नहीं जा सकता यह काफी

नहीं है तथा यह केवल यही दिखाता है कि इसमे पूरे सूझ- बुझ से काम नहीं लिया गया| इस न्यायालय ने उपरोक्त कथन को स्वीकार नहीं किया तथा महसूस किया कि इसके बारे मे नजरबंदी प्राधिकारी द्वारा इस परिपेक्ष्य मे और कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है| इसपर ध्यान देना आवश्यक है कि इस निर्णय मे नजरबंदी प्राधिकारी की समझ सही साबित होती है कि बंदी ज़मानत पर रिहा हुआ है| इस न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हिरासत आदेश को निरस्त करने से इंकार कर दिया ऐसा प्रतीत होता है कि बंदी नजरबंदी आदेश के निरस्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था इस आधार पर कि वे हिरासत मे है तथा कोई वास्तविक समझ नहीं है जिसमे कि बंदी को जेल से रिहा किया जा सके|

जैसा पहले विवेचन किया गया है, निरोध आदेश बशर्त है कि निरोध प्राधिकारी द्वारा सूझ बुझ अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों मामले की परिस्थितियों के तथा बंदी की उन गतिविधि तथा पर आधारित है| अतः माननीय उच्च न्यायलय ने उपरोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर निरोध आदेश को ख़ारिज करने की गलती को गलत बताया जो कि उपरोक्त आधार पर कि नजरबंदी प्राधिकारी की और से बंदी को जमानत देने की आसन्न सम्भावना के सुसंगत प्रश्न के परीक्षण एवं विचार करने में स्पष्ट रूप से लापरवाह एवं असफल हुए हैं|

8.3 *(उपरोक्त) रामेश्वर शॉ* के केस मे न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने विचार किया है कि उपरोक्त व्यक्ति नजरबंदी आवश्यक थी , जिसे जेल से रिहा किया तथा अगर प्राधिकारी वास्तविक रूप से संतुष्ट है कि इस तरह कि नजरबंद जरूरी है तो वे उस आदमी के रिहा होने के कुछ दिन पहले ही वैधिक रूप से पूर्ण नजरबंदी आदेश जारी कर सकते थे| ऐसा पुनः देखा गया है कि यह सवाल उठता है कि क्या नजरबंद का आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध पास हो सकता है जो पहले से ही नजरवंद है या जेल मे है| क्या इन परिस्थितियों मे इन केस पर विचार किया जा सकता है| उपरोक्त न्यायालय के निर्णय का अनुकरण करते हुए इसके बाद के निर्णय मे जो कि *एन मीरा रानी बनाम तमिलनाडू सरकार (1989) 4 एससीसी 418, जो कि पारा 22, कोर्ट ने निम्न* अवलोकन किया है|

> "बंदी का जीवित हिरासत अपने आप यह अमान्य नहीं करता कि यह निवारक निरोध है तथा निर्णय इस तथ्य की खास अवस्था पर निर्भर करता है| निवारक हिरासत आवश्यक है कि बंदी को किसी भी तरह कि पूर्वाग्रह से ग्रसित गतिविधिओं जिसमे राज्य कि सुरक्षा हो या जनता के आदेश का अनुरक्षण हो| सामान्य रूप से यह आवश्यक नहीं कि जब बंदी पहले से ही हिरासत मे हो तो बंदी प्राधिकारी को इसमे अवश्य जागरूकता दिखानी चाहिए कि बंदी को हिरासत मे रखा गया तथा आदेश पारित करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिय लेकिन जब बंदी प्राधिकारी अपने आप मे पूर्ण संतुष्ट हो तथा जिसमे रिहा होने कि संभावना हो एवं इस प्रकार उसके पहले की गतिविधियों का खयाल रखते हुए जो कि समय के अनुरूप हो उसमे उसे अवश्य हिरासत मे लेना चाहिए जिससे कि उसे पूर्व मे लिप्त गतिविधियों मे जाने से बचाया जा सके| हिरासत आदेश को वैधिक रूप से बनाना

चाहिए जिसमे कि ऐसी प्रत्याशा हो कि रिहा होने पर भी काम करे | यह हमलोगों के सामने एक पूर्ण विधिक अवस्था को दर्शाता है"|

8.4 अब न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए *रेखा (उपरोक्त) तथा टी वी श्रवनन* के केस मे बंदी की ओर से फाजिल अधिवक्ता ने जहां तक कहाँ है कि यह नोट करने कि बात है कि तथ्यों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए उपरोक्त का वर्णन किया है| उपरोक्त निर्णय बंदी के लिए सहायक नहीं होगा तथा यह हमारे केस के लिए भी लागू नहीं होगा *रेखा (उपरोक्त)* के केस मे संवैधानिक बेंच के न्यायालय का निर्णय जिसमे *रामेश्वर शॉ (उपरोक्त*) को न्यायालय के समक्ष विचार नहीं किया गया , अतः उपरोक्त निर्णय के लिए न्यायालय को कोई मौका नहीं मिला| यह भी नोट करने वाली बात है कि यद्यपि न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद भी *रेखा (उपरोक्त*) के केस मे जिसमे फाजिल अधिवक्ता ने पूर्णतः विश्वास किया जो कि बंदी के पक्ष मे खड़े थे , *डिंपल हॅप्पी धाकड़ (उपरोक्त)* के केस मे इस न्यायालय ने अवलोकन किया है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत मे हो तो भी उसे निवारक नजरवंद मे रखा जा सकता है लेकिन नजरबंदी प्राधिकारी को सूझ बुझ से काम लेना पड़ेगा (i) निरोध आदेश नजरबंद व्यक्ति के विरुद्ध वैध्यता से उस प्रयोजन के लिए पारित हो सकता है जहाँ पर यह आवश्यक हो सकता है कि निरोध आदेश दर्शाता है (ii) निरोध प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत थे कि बंदी

पहले से ही हिरासत में था तथा बंदी की गतिविधियां इंगित करती है कि अगर वह रिहा हुआ तो वह वैसी पूर्वाग्रह से ग्रसित गतिविधियों मे शामिल हो सकता है अतः यह आवश्यक है कि उसे नजरवंद किया जाय जिससे कि उन गतिविधियों मे सम्मिलित होने से उसे बचाया जा सके|

(iii) नजरबंदी प्राधिकार की संतुष्टि जिससे की बंदी पहले से ही हिरासत मे है तथा उसे बेल पर रिहा होने की संभावना है तथा रिहा होने पर पूर्व ग्रसित गतिविधियों मे नजरवंदी प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि से शामिल होगा|

8.5 कमरुनिषा (उपरोक्त) के केश मे इस कोर्ट ने निम्नलिखित उल्लेख किया है|

> "(1) नजरबंदी आदेश विधिक रूप से उस व्यक्ति के लिए पारित होना चाहिए जो पहले से ही हिरासत मे है| इस तरह के केस मे उन तथ्यों का उजागर होना चाहिए कि प्राधिकारी को पता था कि बंदी पहले से ही हिरासत मे है|
>
> (2) जब इस तरह की जागरूकता होतो यह उन तथ्यों से मालूम होता है कि बंदी को हिरासत मे लेने के लिए काफी तत्व मौजूद है| इस तरह की आकांक्षाएँ केस के विभिन तथ्यों एवं विचारों पर निर्भर करता है| अगर उसके रिहा होने की संभावना है तथा इस तरह से रिहा होने पर उसके पूर्वाग्रह से ग्रसित गतिविधियों मे शामिल होने की प्रबल संभावना है तो मजबूरन यह आवश्यकता है कि नजरबंद के लिए आदेश पारित किया जाय| इस आदेश को इस तथ्य पर खारिज नहीं किया जा सकता कि संबद्ध प्राधिकारी ने इसके ज़मानत का विरोध किया था और अगर ज़मानत स्वीकृत की गई तो उसका विरोध उच्चतम न्यायलय के समक्ष किया जा सकता है|
>
> (3) अगर बंदी के जमानत की प्रक्रिया शुरू हुई तब जमानत का इंकार करते हुए आवेदन तथा आदेश को यदि नजरबंदी प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया है तो

यह मतलब नहीं कि तथ्यों को छिपाया गया है| जब तक नजरबंदी प्राधिकारी को ये पता था कि बंदी वास्तविक रूप से हिरासत मे है इस तरह का प्रश्न तब तक पैदा नहीं होता|

(4) तदनुसार जमानत आवेदन की प्रति का प्राप्त नहीं होना तथा बंदी की जमानत का इंकार आदेश बंदी के इस अधिकार को प्रभावित नहीं करता कि अनुच्छेद 22(5) के तहत उसे पर्याप्त मौका मिला है तथा जब यह स्पष्ट हो गया कि प्राधिकारी ने भरोसा नहीं किया या उसका उल्लेख नहीं किया|

(5) जब नजरबंदी प्राधिकारी ने इसकी चर्चा उस घटना के क्रम मे की तथा उसपर विश्वास नहीं किया कि जमानत आदेश को आगे बढ़ाने मे असफल रहा तथा वह जमानत इंकार का आदेश बंदी के प्रभावी अभ्यावेदन करने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा न केवल उल्लिखित किया जब नजरबंदी प्राधिकारी ने न केवल इसकी चर्चा की बल्कि उसपर आवश्यक संतुष्टि होने पर विश्वास भी किया| इन दस्तावेजों की उपलब्धि तब न होना कुछ खास केस मे तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो कि भारतीय संविधान कि अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है क्या एक दिये हुये केस मे नजरबंदी प्राधिकारी ने लापरवाह के रूप मे इन दस्तावेजों का संदर्भ दिया अथवा उन पर विश्वास किया| उन दस्तावेजों का प्रसंग देते हुये उसमे भरोसा करने पर उनके तथ्यों एवं आधारों का वर्णन है जिनकी जांच न्यायालय द्वारा किया जाय|

(6) यदि केस मे जब बंदी को जमानत पर रिहा किया गया हो तथा उसे नजरबंदी आदेश पारित होने के समय पर पूर्ण स्वतन्त्र हो| नजरबंदी प्राधिकारी को आवश्यक रूप से भरोसा करना होगा कि वह एक नजरबंदी आदेश के लिए मुख्य आधार होगा जमानत स्वीकृत करने का जमानत आवेदन एवं आदेश तथा जमानत आदेश पास करने वाले को प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक रूप से रखा जाना चाहिए एवं उसकी प्रति बंदी को भी प्राप्त होना चाहिए"|

9. अब न्यायालय द्वारा विदित कानून का प्रयोग करना यहाँ इस बात का संदर्भ है कि उपरोक्त केस का तथ्य तथा इसके आधार (पारा 7) पर विचार करने पर तथा नजरबंदी प्राधिकारी द्वारा अन्य गतिविधियों पर विचार करने पर हम संतुष्ट है कि नजरबंद आदेश को इस

आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता| यह नोट करने की बात है कि बंदी को उसी दिन दिनांक 02.08.2019 को न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नजरबंदी का आदेश खारिज कर दिया गया| अतः नजरबंदी प्राधिकारी का संदेह कि बंदी को जमानत पर रिहा होने की सम्भावना दृढ थी अतः उच्च न्यायलय से नजरबंदी आदेश को इस आधार पर रद्द एवं ख़ारिज करने की त्रुटि हुई की नजरबंदी प्राधिकारी की ओर से बंदी को जमानत देने की आसन्न सम्भावना के सुसंगत प्रश्न के परीक्षण एवं उचित को विचार करने में स्पष्ट रूप से लापरवाह एवं असफल हुए है|

10. अब जहां तक बंदी की ओर से फ़ाज़िल अधिवक्ता का कहना है कि उसके अनुसार जिसे फाजिल अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है खासकर मुख्य तथ्यों पर विचार नहीं किया जाना जैसे प्रत्याहार कथन जो श्री आनंद द्वारा दिया गया जो कि नजरबंदी प्राधिकारी का मामला है| अंत मे यह नोट करने योग्य है कि मेमो सं 9920/ए वी -1 जो कि दिनांक 31.8.019 को जेल प्राधिकारी (श्री आनंद) की याचिका दिनांक 22.6.019 को फ़ाज़िल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट कोलकाता को दी गई है| ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त याचिका को किसी और यहाँ तक कि प्रायोजित प्राधिकारी या नजरबंदी प्राधिकारी को भी अग्रेषित नहीं किया गया है| ऐसा पाये गए तत्वों के आकलन से मालूम होता है कि पत्रांक एवं

मेमो सं 9899/ए बी -1 जो कि दिनाक 30.8.019 को जेल प्राधिकारी द्वारा दिया गया है जिसमे कैदी याचिका कि एक प्रति जो कि श्री आनंद की है उसे दिनाक 22.6.2019 को अग्रेषित किया गया है तथा दिनांक 22.6.019 को ही फाजिल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट कोलकाता को दिया गया है दिनाक 24.6.019 को कार्यालय फाजिल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट कोलकाता द्वारा भी प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री आनंद तथा बंदी को न्यायिक हिरासत से दिनाक 02.7.019 को फाजिल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट , कोलकाता के सामने लाया गया| इस सुनवाई के दौरान मुकदमे पक्ष का कहना है कि श्री आनंद द्वारा प्रत्याहार याचिका जारी की गई थी| अतः तदनुसार एक प्रार्थना फाजिल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट , कोलकाता के सामने पेश कि गई जिसमे इस प्रति के प्राप्ति कि प्रार्थना की गई| तदनुसार फाजिल मुख्य महानगर मैजिस्ट्रेट ने श्री आनंद के अधिवक्ता को आदेश दिया कि दिनांक 02.7.019 को दिये गए याचिका के अनुसार प्रत्याहार याचिका की एक प्रति दी जाय तत्वों कि जांच पर मालूम होता है कि डी आर ऑफिस कोलकाता ने दिनांक 15.07.2019 को श्री आनंद के वापसी याचिका की प्रति जो की दिनांक 22.6.2019 की है ने प्राप्त किया है| फ़ाज़िल विचारण न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया गया है जो कि दिनांक 22.6.2019 को बंदी

की ओर से पेश किया गया है जिसमे कहा गया है कि प्रयोजन प्राधिकारी को आनंद की वापसी याचिका की जानकारी थी| अतः प्रयोजक प्राधिकारी को चाहिए था कि आनंद के वापसी याचिका की तरफ नजरबंदी प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करे| जबकि इसे ध्यान मे रखना है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पत्र पर दो आदेश प्राप्त हुए है, पहला आदेश हस्तलिखित है जबकि दूसरा मुद्रित| हस्तलिखित आदेश मे न्यायालय की मुहर एवं फाजिल मैजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर नहीं है| अतः हस्तलिखित आदेश जो कि दिनांक 24.6.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा पास किया गया है उसपर विश्वास एवं भरोषा नहीं किया जा सकता है| इन परिस्थितियों मे ऐसा प्रतीत होता है कि जब नजरबंदी प्राधिकारी द्वारा नजरबंद के लिए आदेश पारित हुआ तब न तो नजरबंदी प्राधिकारी और न ही प्रयोजक प्राधिकारी को श्री आनंद के वापसी याचिका की जानकारी थी| इन परिस्थितियों मे न तो कोई अवसर है और न ही कोई कारण जिसमे की नजरबंदी प्राधिकारी को श्री आनंद के वापसी याचिका पर विचार करे| इन परिस्थितियों मे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्री आनंद की वापसी याचिका पर विचार करने पर नजरबंदी आदेश मे विकृति आई है|

11. उपरोक्त पर ध्यान पूर्वक विचार करने पर ऐसा कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने आदेश को खारिज एवं निरस्त करके नजरबंदी आदेश के लिए गंभीर त्रुटि की है तथा नजरबंदी प्राधिकारी के व्यक्तिपरक संतुष्टि मे अवरोध किया है परिणामस्वरूप निरोध प्राधिकारी द्वारा अपील की गुजारिश की जाती है अर्थात अनुमति याचिका (आपराधिक सं) 7010/2019 से उत्पन्न सिविल अपील को स्वीकृत किया जाता है| उच्च न्यायलय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश जिसमे नजरबंदी आदेश को निरस्त एवं ख़ारिज किया गया है, ख़ारिज एवं निरस्त किया जाता है एवं बंदी के निरोध आदेश को लागू किया जाता है| बंदी अशोक कुमार जालान एवं अमित जालान बंदी प्राधिकारी द्वारा हिरासत में लिए जाए| तदनुसार प्रत्यर्थी द्वारा प्राथमिकता दी गई विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं 7013/2019 को ख़ारिज किया जाता है|

<u>रिट याचिका (आपराधिक) सं 204, 206 तथा 209/2019</u>

रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (दांडिक) सं 204/2019, 206/2019 एवं 209/2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्राथमिकता दी है यह उपयुक्त रिट निर्देश अथवा आदेश घोषित करते हुए COFEPOSA की धारा 13 के अंतर्गत जो कार्य अच्छी भावना के साथ सम्पादित किये जायेंगे वही इस धारा के अंतर्गत आयेंगे जो

सम्बंधित याचीगण को निरोध प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही में सक्षम बनाता है, | परन्तु रिट याचीकाओं की प्रार्थनाओं के समर्थन में सुनवाई के दौरान ऐसी कोई इस तरह का निवेदन दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं की ओर से नहीं किये गए हैं|

अतः अपने निर्ण य पर विचार करते हुए जो कि आपराधिक अपील विशे ष अनु मति याचिका (आपराधिक) सं 7010/2019 में दिया गया है, हम वर्तमान रिट में कोई वर्तमान रिट याचिकाओं के कोई गुण नहीं पाते हैं अतः इसे निरस्त किया जाता है|

.....न्या.
(उदय उमेश ललित)

.....न्या.
(इंदिरा बनर्जी)

.....न्या.
(एम आर शाह)

नई दिल्ली;
22 नवम्बर, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।